पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(सीकर–झुंझुनू स्टेट हाईवे, कटराथल, सीकर–332024)

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com दूरभाष नं.: 01572-232411

क्रमांक– 23000 दिनांक: 05/02/2022

तम्बाकू मुक्त/धुम्रमान निषेध क्षैत्र के क्रम में आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय के क्षैत्राधिकार में अवस्थित समस्त महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के आदेशानुसार नशा मुक्त भारत व राजस्थान सरकार के आदेशानुसार निरोगी राजस्थान अभियान के तहत समस्त शिक्षण संस्थानो को 31.01.2021 तक तम्बाकु मुक्त शिक्षण संस्थान बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी थी।

अतः उक्तानुसार समस्त महाविद्यालय संलग्न पत्र कार्यालय जिला कलक्टर सीकर के अनुसार कार्यवाही अमल में लाकर संबंधित मेल आई डी पर अनुपालना रिपोर्ट भिजवायी जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ. रविन्द्र कुमार कटेवा)
उप कुलसचिव (शैक्षणिक)

338

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, सीकर (राज.)

क्रमांक : एनटीसीपी/2020/17 दिनांक :– 13/01/20.

1. कुलपति, शेखावाटी विश्वविधालय सीकर
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीकर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) सीकर
4. अध्यक्ष निजी कॉलेज संघ सीकर
5. अध्यक्ष निजी शिक्षण संस्थान सीकर
6. समस्त कोचिंग शिक्षण संस्थान सीकर

विषयः– समस्त शिक्षण स्थानों को तम्बाकू मुक्त/धुमपान निषेध क्षेत्र के क्रम में।

भारत सरकार के आदेशानुसार नशामुक्त भारत व राजस्थान सरकार के आदेशानुसार निरोगी राजस्थान अभियान के तहत समस्त शिक्षण संस्थानों को 31 जनवरी 2021 तक तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार निरोगी राजस्थान अभियान को सफल बनाने हेतु तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान के 09 सूचंकाकों की संलग्न प्रति अनुसार आवश्यक रूप से पालना करावें। कार्यालय में तंबाकू निषेध क्षेत्र बोर्ड की पालना की जावे। सभी शिक्षण संस्थानों से निर्धारित प्रारूप में बोर्ड आवश्यक रूप से प्रदर्शित होना आवश्यक है।

नोटः– आपके स्तर से रिपोर्ट इकजाई करके मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की आई डी tobaccofreesikar@gmail.com पर प्रति माह की 03 तारीख तक भिजवाना सुनिश्चित करें।

सलंग्नः–

1. बोर्ड प्रारूप।
2. रिपोर्टिंग फोर्मेट।

For n/a

पत्र को प्राथमिकता प्रदान करें।

जिला कलेक्टर
सीकर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर।
2. राज्य नोड़ल अधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,सीकर।
5. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर
सीकर

60X60 cm

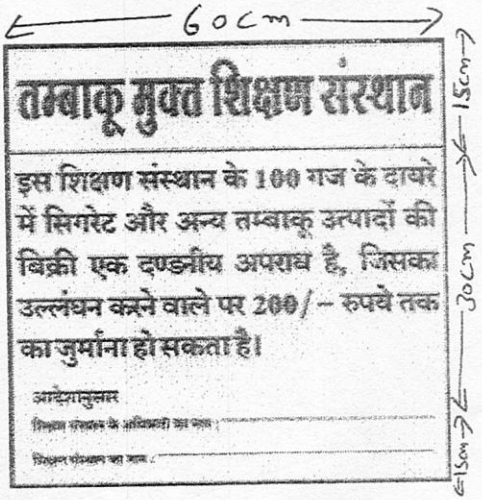
60cm
15cm
30cm
15cm
तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान
इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एक दण्डनीय अपराध है, जिसका उल्लंघन करने वाले पर 200/- रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
आदेशानुसार
शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम :
शिक्षण संस्थान का नाम :

तम्बाकू मुक्त विद्यालय/शिक्षण संस्थान मॉनिटरिंग/मूल्यांकन प्रपत्र

क्र.सं.	विद्यालय/शिक्षण संस्थान का नाम व स्थान	संस्था प्रधान का नाम व मोबाईल न.	कुल स्टाफ संख्या		कुल विद्यार्थियों की संख्या		विद्यालय/शिक्षण संस्थान में तम्बाकू नियंत्रण कमेटी का गठन हुआ है या नहीं।	शिक्षण संस्थान परिसर के अन्दर प्रमुख स्थानों पर "तम्बाकू मुक्त परिसर" के साइनेज/बोर्ड का प्रदर्शन	नाम, पदनाम, सम्पर्क सूत्र सम्मिलित करते हुये साइनेज/बोर्ड	शिक्षण संस्थान के प्रवेश द्वार/बाउंड्री वॉल पर तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान का साइनेज/बोर्ड प्रदर्शित	नाम, पदनाम, सम्पर्क सूत्र सम्मिलित करते हुये साइनेज का प्रदर्शन	तम्बाकू उपयोग करने के प्रमाण नही होना जैसे कि सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े अथवा गुटखा/तम्बाकू के पांउच थूक के धब्बे।	तम्बाकू के हानिकारक प्रभावों के सम्बंध में पोस्टर व अन्य जागरूकता सामग्री	गत 06 माह में तम्बाकू नियंत्रण सम्बंधी कम से कम 01 गतिविधि का आयोजन	शिक्षण संस्थान में तम्बाकू मॉनिटर का नाम, पदनाम एवं सम्पर्क सूत्र सूचना पट्ट/साइनेज पर लिखा होना	"तम्बाकू उपयोग न करने" के नियम शिक्षण संस्थान की आचार संहिता में सम्मिलित करना।	शिक्षण संस्थान के बाउंड्री वॉल/बांड के बाहरी 100 गज के दायरे का चिन्हीकरण।	शिक्षण सं के 100 ग दायरे तम्बाकू उ की बिक्री दुकान न होना।
			पुरूष	महिला	छात्र	छात्रा	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नही	हाँ/नह

नोट :– कृपया हाँ के लिये 1 लिखे तथा नहीं के लिये 0 लिखे।

60 x 45 cm

60 cm

30 cm

15 cm

धूम्रपान रहित क्षेत्र, यहाँ धूम्रपान करना एक अपराध है।

उल्लंघन करने पर 200/- रूपये तक जुर्माना किया जाएगा।

यदि आप को कोई भी व्यक्ति यहाँ धुम्रपान करते दिखाई देता है तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत करें-

1. श्री/श्रीमती.....
2. पदनाम.....
3. फोन /मोबाईल नं. .....